न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 82/2022 G.C.M.S. No. 2022/405 दर्ज दिनांक : 19.12.2022

अपीलार्थीगण:

1. शांतिदेवी पत्नि सरदारसिंह, उम्र 59 वर्ष
2. सरदारसिंह पुत्र जयसिंह, उम्र 60 वर्ष, जातियान पुरोहित, निवासीगण देवकी, तहसील आहोर, जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण:

1. शंकरलाल पुत्र मगाराम, जाति नाई, निवासी देवकी मृतक के का.मु.–
   1/1 नेनाराम पुत्र शंकरलाल
   1/2 रूपाराम उर्फ रूपेश सैन पुत्र शंकरलाल
   1/3 गणपतलाल पुत्र शंकरलाल
   1/4 जेती पुत्री शंकरलाल
   1/5 सीता पुत्री शंकरलाल
   1/6 सोरम पुत्री शंकरलाल, जातियान नाई, निवासीगण देवकी, तहसील आहोर, जिला जालोर।
2. लीलादेवी पत्नि गिरधारी भारती, जाति स्वामी, निवासी देवकी, तहसील आहोर व जिला जालोर।
3. उमा देवी पत्नि जोग भारती, जाति स्वामी, निवासी देवकी, तहसील आहोर व जिला जालोर।
4. हीरसिंह पुत्र प्रभुसिंह, जाति रजपूत, निवासी देवकी, तहसील आहोर व जिला जालोर।
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार आहोर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 43/2021 बअनवान शांतिदेवी वगैरह बनाम राजस्थान सरकार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 04.10.2022 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री सिकंदर अली सैयद, श्री रियाज खान, श्री आसिफ अली, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री चंदनमल छीपा, श्री गोवर्धनसिंह राजपुरोहित, श्री विक्रमसिंह गोविंदला, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 29.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 43/2021 बअनवान शांतिदेवी वगैरह बनाम राजस्थान सरकार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 04.10.2022 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

यह कि हस्तगत प्रकरण में मौजा देवकी, तहसील आहोर में अपीलान्ट्स/प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा कास्त की भूमि खसरा नम्बर 260 की आई हुई है। अपीलान्ट्स/प्रार्थीगण की भूमि में आने-जाने हेतु रास्ता गैर मुमकिन नाडी खसरा नम्बर 254 तक मौजूद है। लेकिन खसरा नम्बर 257, 258, 267 रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 से 4 के खातेदारी भूमियां होने से अपीलान्ट्स/प्रार्थीगण को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 प्रार्थीगण को आने जाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। जबकि अपीलान्ट्स/प्रार्थीगण के कब्जा कास्त की भूमि खसरा नम्बर 260 में आवागमन हेतु निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 257, 258 में से 267 की माठ के लगती भूमि पर 20 फीट चौडा नया रास्ता दिलवाने के संबंध में अपीलान्ट्स/प्रार्थीगण ने धारा 251 (1) राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 16/03/2021 को पेश किया था, जिस पर अदालत मातहत ने तहसीलदार आहोर से मौका रिपोर्ट मंगवाई जिसमें अपीलान्ट्स/प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आवागमन हेतु अपीलान्ट्स/प्रार्थीगण को सुविधा व निकटतम रास्ता सही होने से नियमानुसार उपलब्ध करने का प्रस्ताव तहसीलदार ने दिनांक 23/06/2021 को पटवारी व आर.आई. को मौके पर भेजकर मौका रिपोर्ट बनवाकर दिनांक 02/07/2021 को रास्ता देने की मौका जांच रिपोर्ट तैयार कर भेजी थीं, लेकिन अदालत मातहत ने गलत रूप से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश देने में कानूनी व वाक्याती भूल की हैं। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में अप्रार्थी संख्या 2/4 सौथी देवी पत्नी शंकरलाल की मृत्यु होने के बावजूद कायम मुकाम रेकर्ड पर नही लाने के तथ्य मानते हुये प्रार्थना पत्र एबेट होने के तथ्य बताते हुये आदेश देने में कानूनी व वाक्याती भूल की हैं। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 2/4 सौथी देवी के कायम मुकाम पहले से अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/3 तथा 2/5 से 2/7 रेकर्ड पर है तथा किसी मृतक के कायम मुकाम पहले से ही रेकर्ड पर होने की स्थिति में प्रार्थना पत्र एबेट होना मानते हुये खारिज नहीं किया जा सकता है। नक्शा ट्रेस से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 261 के लगता व नजदीक कोई रास्ता नहीं हैं। खसरा नम्बर 260 की भूमि में आने-जाने हेतु सुगम व निकटतम रास्ता अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स के खातेदारी में से भूमियां खसरा नम्बर 257, 258, 267 की माठ पर खसरा नम्बर 254 नाडी से सुगमता से दिया जाना चाहिये था, जिस संबंध में तहसीलदार आहोर ने भी निकटतम व सुगम यह रास्ता देना उचित मानते हुये मौका जांच कर मौका फर्द बनाकर प्रस्तावित किया था। प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स के खेत में आने-जाने का कोई रास्ता नहीं हैं तथा प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह रास्ता निकटतम रास्ता है। अपीलान्ट्स/प्रार्थीगण को निर्णय दिनांक 04/10/2022 की सूचना वकील द्वारा नहीं दी गई तथा दिनांक 13/12/2022 को उपखण्ड अधिकारी आहोर के कार्यालय में जाने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई जिस

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पर अपीलान्ट्स ने दिनांक 13/12/2022 को उक्त निर्णय की नकल मांगी जो नकल तैयार होकर दिनांक 14/12/2022 को मिली, तब अपील खर्चे का इंतजाम करके यह अपील पेश की जा रही हैं। जिससे निर्णय की जानकारी के दिन से अपील अन्दर म्याद पेश है फिर भी किसी तरह की देरी मानी जावें तो अपीलान्ट्स को उक्त निर्णय का ज्ञान नहीं होने से तथा कानून विरोधी निर्णय होने से देरी कन्डोन करते हुए न्यायहित में अपील अन्दर म्याद शुमार फरमाई जावें, जिस हेतु अलग से भी धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध नवीन रास्ता बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 04.10.2022 द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 19.12.2022 को 15 दिवस के विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की नकल दिनांक 14.12.2022 को प्राप्त हुई। अतः विलंबकाल माफ फरमावें। हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा विलंब अपीलांट की लापरवाही से होना साबित नहीं हैं। अतः विलंबकाल माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की आराजी प्रार्थीगण के पिता द्वारा जरिये रजिस्ट्री क्रय करने तथा बेचानकर्ताओं का शेष हिस्सा खसरा संख्या 261 में आज भी दर्ज होने से प्रार्थी को खसरा संख्या 261, 266, 583/265 में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकार बनता था। साथ ही अप्रार्थी संख्या 2/4 की मृत्यु हुए 1 वर्ष होने से कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं करने से प्रार्थना पत्र स्वतः अबेट हो जाने का अंकन करते हुए खारिज कर दिया गया। हमारे विनम्र मत में प्रथम तो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई अंकन नहीं हैं, जिससे यह स्पष्ट हों कि अप्रार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

संख्या 2/4 की मृत्यु एक वर्ष पूर्व हो गई हों एवं न ही इस संबंध में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा सूचना दिए जाने का अंकन है, बल्कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2022 को अप्रार्थी संख्या 2/4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई। साथ ही अप्रार्थी संख्या 2/4 सोथीदेवी शंकरलाल की पत्नि है तथा शंकरलाल के कायम मुकाम पूर्व से पत्रावली पर है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार की कायम मुकाम कार्यवाही की अपेक्षा नहीं थीं एवं प्रार्थना पत्र स्वतः अबेट नहीं माना जा सकता।

4. धारा 251–क के अंतर्गत काश्तकार को अपनी जोत तक पहुंच के लिए यदि पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसा पहुंच मार्ग जो निकटतम दूरी व न्यूनतम रकबे का हों, प्राप्त करने का कानूनन अधिकार है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं हैं कि क्रेता अपनी जोत तक पहुंच के लिए केवल विक्रेता की शेष या अन्य आराजी में से ही रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों का अवलोकन किए बिना एवं विवेक का समुचित प्रयोग नहीं करते हुए यंत्रवत रूप से आदेश पारित करते हुए अपीलाधीन आदेश द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो पुष्टि योग्य नहीं हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन आदेश की पुष्टि नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 43/2021 बअनवान शांतिदेवी वगैरह बनाम राजस्थान सरकार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 04.10.2022 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए प्रकरण में भू.अ.नि. से अनिम्न राजस्व अधिकारी से सभी प्रभावित खातेदारान को सूचित करवाते हुए तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रस्तावित करवाते हुए पुनः विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे असालतन/वकालतन न्यायालय उपखंड अधिकारी आहोर में दिनांक 25.05.2026 को पेश हों। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.04.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली